

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

कंमाक एफ-3 (ख) वरिष्ठता/लेखाकार/ अलेसे-11/11517-12066 दिनांक-25-06-13

कार्यालय आदेश

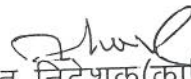
इस विभाग द्वारा दिनांक 1.4.1995 की स्थिति में जारी वरिष्ठता सूची आदेश कंमाक एफ-3 (ख) वरिष्ठता/लेखाकार/ अलेसे-11/9016-10521 दिनांक 24.6.2008 को राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के पत्र कंमाक एफ-5(88)/08-09/217 दिनांक 27.06.2008 के क्रम में अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया गया था, के सन्दर्भ में वर्तमान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण निर्णित किया जा चुका है एवं राज्य सरकार द्वारा दिनांक 11.9.2011 को अधिसूचना जारी की जा चुकी है। वैसे भी चर्चित प्रकरण में रिगेनिंग दिनांक 1.4.1995 से प्रभावी की गई जो नियमानुसार नहीं था अतः अब इस प्रकरण में कोई विवाद नहीं रह जाता है अतः आदेश कंमाक एफ-3(ख) वरिष्ठता/ लेखाकार/ अलेसे-11/2281-3971 दिनांक 5.6.2009 से अग्रिम आदेशों तक किये गये स्थगन आदेश को तुरन्त प्रभाव से हटाया जाता है।


निदेशक

कंमाक एफ-3 (ख) वरिष्ठता/लेखाकार/ अलेसे-11/11517-12066 दिनांक-25-06-13

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उप शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान जयपुर
2. उप शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. श्री लेखाकार, कार्यालय
4. समस्त कोषाधिकारी
5. निजी सहायक निदेशक महोदय
6. कम्प्यूटर अनुभाग


अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-1)